

21/9/23

प्रथम पक्ष उपर। द्वितीय पक्ष अनुप  
 प्रथम पक्ष के द्वारा श्री  
 दारिद्र्य किया गया।  
 द्वितीय पक्ष न जाना  
 अनुपस्थित रह रहे हैं।  
 प्रथम पक्ष के विषय  
 अधिवक्ता को हुना।

उभय पक्ष एक ही  
 रव निपानी रैपन के वंशज  
 हैं तथा सुमि के हिलेदारी  
 को लेकर विवाद है।

अतः उभय पक्ष को  
 निर्देश दिया जाता है कि  
 सक्षम न्यायालय में अपना  
 पक्ष रखें।

उक्त विवेचन के  
 सापेक्ष की कार्यवाही समाप्त  
 की जाती है।

श्री/...